प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –400/2022

अनवान : –

1. सतवीर पुत्र देवीलाल जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. लिछमण पुत्र मोमनराम उर्फ मोमन जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2. कृष्णलाल
3. जगदीश
4. बुधराम
5. लालचन्द
6. पालाराम

(क्रम 2 से 6) पुत्रगण लिछमण पुत्र मोमनराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।

7. तिजा देवी
8. सरस्वती
9. गीता
10. बाला

(क्रम 7 से 10) पुत्रीया लिछमण पुत्र मोमनराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।

11. सरोज पुत्री देवीलाल जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
13. उप पंजीयक नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः** 13/6/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 7/7 के ख0न0 53 की 12.8110 हैक्ट भूमि में से 4383/25622 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 307/297 के खसरा न0 46 की 6.4750 हैक्ट भूमि में से 10119/32375 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 306/296 के खसरा न0 46/470 की कुल 2.7320 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मोमनराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी उनकी फौतदगी के बाद वादी के दादा मोमनराम से उक्त भूमि विरासतन उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई। उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 के [illegible] खानदान होने के कारण अकेले के नाम वाद भूमि दर्ज हो गयी जबकि वाद भूमि [illegible] वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 पेश किया गया कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 7/7 के ख0न0 53 की 12.8110 हैक्ट भूमि में से 4383/25622 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 307/297 के खसरा न0 46 की 6.4750 हैक्ट भूमि में से 10119/32375 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 306/296 के खसरा न0 46/470 की कुल 2.7320 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 11 व वादी का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने का संशोधित दावा स्वीकार किया जावें अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा द्वारा प्रार्थना पत्र पर एतराज जाहिर नही करने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 स्वीकार किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा पारिवारिक समझौता (राजीनामा) पेश किया गया की कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 7/7 के ख0न0 53 की 12.8110 हैक्ट भूमि में से 4383/25622 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 307/297 के खसरा न0 46 की 6.4750 हैक्ट भूमि में से 10119/32375 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 306/296 के खसरा न0 46/470 की कुल 2.7320 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मिकर संख्या 1 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहता है अपना समस्त हक हिस्सा अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा मिकर संख्या 8 ता 11 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है बाद हक त्याग उक्त वाद में कृष्णलाल, जगदीश, बुधराम, लालचन्द व पालाराम पुत्रगण लिछमण का 5/6 हिस्सा व मिकर संख्या 7 सतवीर पुत्र देवीलाल व मिकर संख्या 12 सरोज पुत्री देवीलाल का बहिब 1/6 हिस्सा आया है उक्त तीनों खातों की भूमि में लिछमणराम पुत्र मोमनराम का नाम कलमजन करवाकर उपरोक्तानुसार कृष्णलाल, जगदीश, बुधराम, लालचन्द व पालाराम पुत्रगण लिछमण का 5/6 हिस्सा एवं सतवीर, सरोज पुत्र पुत्री देवीलाल का बहिब 1/6 हिस्सा के बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के लिए मिकरान एवं वारिसान फरिकेन सहमत है तथा इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है जिसके लिए सभी सहमत है किसी को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा [illegible] पारिवारिक समझौता प्रतिवादी सं0 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 ने [illegible] शुन्य कर लिया है। प्रकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पक्षकारान द्वारा राजीनामा/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 7/7 के ख0न0 53 की 12.8110 हैक्ट भूमि में से 4383/25622 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 307/297 के खसरा न0 46 की 6.4750 हैक्ट भूमि में से 10119/32375 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 306/296 के खसरा न0 46/470 की कुल 2.7320 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 तथा 7 ता 9 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 7/7 के ख0न0 53 की 12.8110 हैक्ट भूमि में से 4383/25622 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 307/297 के खसरा न0 46 की 6.4750 हैक्ट भूमि में से 10119/32375 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 306/296 के खसरा न0 46/470 की कुल 2.7320 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादीगण संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 को 5/6 हिस्सा व वादी, व व प्रतिवादी सं0 11 को बहिब 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष — 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:32 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष—2023
कैम्प कोर्ट—

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –400/2021

अनवान : –

1. सतवीर पुत्र देवीलाल जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. लिछमण पुत्र मोमनराम उर्फ मोमन जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2. कृष्णलाल
3. जगदीश
4. बुधराम
5. लालचन्द
6. पालाराम

(क्रमांक 2 से 6) पुत्रगण लिछमण पुत्र मोमनराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।

7. तिजा देवी
8. सरस्वती
9. गीता
10. बाला

(क्रमांक 7 से 10) पुत्रीया लिछमण पुत्र मोमनराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।

11. सरोज पुत्री देवीलाल जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
13. उप पंजीयक नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गतधारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 400 सन 2021 निर्णय दिनांक 13.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 7/7 के ख0न0 53 की 12.8110 हैक्ट भूमि में से 4383/25622 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 307/297 के खसरा न0 46 की 6.4750 हैक्ट भूमि में से 10119/32375 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 306/296 के खसरा न0 46/470 की कुल 2.7320 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादीगण संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 को 5/6 हिस्सा व वादी, व व प्रतिवादी सं0 11 को बहिब 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:32 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– लाखासर